



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 कार्तिक 1943 (श०)

(सं० पटना 945) पटना, बुधवार, 17 नवम्बर 2021

सं० 04/नि०अधि०(कैश-क्रेडिट-11)-04/2020/3240-खण्ड-B
सहकारिता विभाग

संकल्प

16 नवम्बर 2021

विषय:- खरीफ विपणन मौसम 2021-22 एवं रबी विपणन मौसम 2022-23 में अधिप्राप्ति कार्य हेतु बिहार राज्य सहकारी बैंक को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/नाबार्ड/अन्य वित्तीय संस्थानों से 5000 (पाँच हजार) करोड़ रुपये ऋण प्राप्त करने एवं एतदर्थ उक्त ऋण के अनुवर्ती उपयोगकर्ता जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक को दिये गये ऋण, पुनः जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न सहकारी संस्थानों को दिए गए ऋण पर राजकीय गारंटी प्रदान करने के संबंध में।

खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में राज्य के कृषकों को उनके धान एवं रबी विपणन मौसम 2022-23 में गेहूँ उत्पादन का न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने तथा आपात बिक्री (Distress Sale) रोकने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्सों) एवं व्यापार मंडलों के माध्यम से अधिप्राप्ति कार्य क्रियान्वित किया जाना है।

2. राज्य सरकार के निर्णयानुसार कृषकों को पैक्सों/व्यापार मंडलों में आपूर्ति किये गये धान/गेहूँ का भुगतान PFMS के माध्यम से जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा किसानों के खाते में किया जाता है। पैक्सों के द्वारा राज्य खाद्य निगम को चावल/गेहूँ आपूर्ति के उपरांत निर्धारित मूल्य के अनुसार निगम द्वारा प्रतिपूर्ति किया जाता है। इस पूरे अधिप्राप्ति चक्र में लाभान्वित किसानों को तत्काल भुगतान हेतु पैक्सों/व्यापार मंडलों के पास पर्याप्त राशि रहना आवश्यक है।

3. पैक्सों/व्यापार मंडलों के पास वित्तीय संसाधन पर्याप्त नहीं रहने के कारण पैक्सों/व्यापार मंडलों को कैश-क्रेडिट की सुविधा केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। राज्य सहकारी बैंक जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को एतदर्थ कैश-क्रेडिट ऋण उपलब्ध कराती है।

4. राज्य सहकारी बैंक के द्वारा धान/गेहूँ अधिप्राप्ति के अनुमानित लक्ष्य के मूल्य का 40% राशि कैश-क्रेडिट ऋण जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से पैक्सों को उपलब्ध कराने हेतु लगभग 5000 करोड़ (पाँच हजार करोड़)

की आवश्यकता है। तदनुसार कुल 5000 करोड़ रु० की राशि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/नाबार्ड/अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण के रूप में प्राप्त करने की आवश्यकता है।

5. बिहार राज्य सहकारी बैंक लि०, पटना को खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार द्वारा अधिप्राप्ति कार्य हेतु कुल 3500 करोड़ (तीन हजार पाँच सौ करोड़) की राजकीय गारंटी के विरुद्ध राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा 2000 करोड़ (दो हजार करोड़) ऋण की स्वीकृति की गयी थी, जिसमें से 1900 करोड़ (एक हजार नौ सौ करोड़) का उपभोग बैंक द्वारा किया गया। अधिप्राप्ति कार्य सम्पन्न होने के पश्चात राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को शत-प्रतिशत (मूलधन+ब्याज) राशि की वापसी कर दी गयी है। वर्तमान में राजकीय गारंटी से प्राप्त ऋण के विरुद्ध बकाया राशि शून्य है।

6. बिहार राज्य सहकारी बैंक लि०, पटना द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/नाबार्ड/अन्य वित्तीय संस्थाओं से अधिप्राप्ति कार्य हेतु 5000 करोड़ (पाँच हजार करोड़) ऋण प्राप्ति पर गारंटी इस स्वरूप में प्रदान की जानी है ताकि इस गारंटी से राज्य सहकारी बैंक को उक्त अधिसीमा में प्राप्त ऋण के साथ-साथ जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को दिये गये ऋण तथा पुनः जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के द्वारा अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न सहकारी संस्थानों को दिये गये ऋण भी आच्छादित रहेंगे।

7. खरीफ विपणन मौसम 2021-22 एवं रबी विपणन मौसम 2022-23 में अधिप्राप्ति कार्य के बाधा रहित क्रियान्वयन एवं किसानों को ससमय न्यूनतम समर्थन मूल्य पैक्स/व्यापार मंडलो के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु केन्द्रीय सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूँजी उपलब्ध कराने हेतु राज्य सहकारी बैंक को अतिरिक्त राशि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु ऋण प्राप्त करने हेतु राजकीय गारंटी प्रदान करना समुचित होगा। इस राजकीय गारंटी के अधीन प्राप्त ऋण का उपयोग संबंधित सहकारी बैंकों के द्वारा विनिर्दिष्ट प्रयोजन तथा अधिप्राप्ति वर्ष अन्तर्गत ही किया जा सकेगा।

8. खरीफ विपणन मौसम 2021-22 एवं रबी विपणन मौसम 2022-23 में अधिप्राप्ति कार्य हेतु बिहार राज्य सहकारी बैंक को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/नाबार्ड/अन्य वित्तीय संस्थानों से 5000 (पाँच हजार) करोड़ रुपये ऋण प्राप्त करने एवं एतदर्थ उक्त ऋण के अनुवर्ती उपयोगकर्ता जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक को दिये गये ऋण, पुनः जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न सहकारी संस्थानों को दिए गए ऋण पर राजकीय गारंटी प्रदान किया जायेगा।

9. वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा गारंटी हेतु प्राप्त सहमति में जोड़े गये शर्त के अनुपालन में प्रत्येक माह गारंटी से संबंधित विवरण तथा विहित प्रपत्र में अद्यतन सूचना बिहार राज्य सहकारी बैंक, पटना द्वारा नियमित रूप से वित्त विभाग एवं विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

10. राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 03.11.2021 में मद सं०-14 के रूप में (संचिका सं०-04/नि०/अधि. (कैश क्रेडिट-11)-04/2020 "खंड-B" पृष्ठ 63/टि०) स्वीकृति प्रदान की गयी है।

आदेश— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आनन्द शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 945-571+20-डी०टी०पी०
Website: <http://egazette.bih.nic.in>**